

रोशनी की तकनीक से याददाश्त, भावनाओं और व्यवहार को समझना हुआ आसान

ऑप्टोजेनेटिक्स की खोज के लिए तीन वैज्ञानिकों को नोबेल

स्टॉकहोम, एजेंसी: वर्ष 2026 का चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार जर्मनी के पीटर हेगेमैन और जॉर्ज नागेल तथा अमेरिका के कार्ल डाइसेरोथ को दिया गया है। तीनों वैज्ञानिकों को ऑप्टोजेनेटिक्स के विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। इस तकनीक के माध्यम से प्रकाश की मदद से मस्तिष्क की विशिष्ट तंत्रिका कोशिकाओं को नियंत्रित कर उनके कामकाज को समझना संभव हुआ है।

ऑप्टोजेनेटिक्स के जरिए वैज्ञानिक अब यह जानने में सक्षम हैं कि मस्तिष्क की अलग-अलग तंत्रिका कोशिकाएं याददाश्त, भावनाओं और व्यवहार में किस तरह भूमिका निभाती हैं। इस तकनीक ने अवसाद समेत कई मानसिक और मस्तिष्क संबंधी बीमारियों पर शोध को भी नई दिशा दी है। इसका इस्तेमाल आंखों से जुड़ी बीमारियों के अध्ययन में भी किया जा रहा है।

इस खोज की शुरुआत क्लैमाइडोमोनास नामक छोटे शैवाल से हुई। पीटर हेगेमैन यह समझना चाहते थे कि यह शैवाल प्रकाश की दिशा में कैसे गति



करता है। शोध के दौरान हेगेमैन और जॉर्ज नागेल ने इसमें चैनलरोडॉप्सिन नामक प्रोटीन की पहचान की। यह प्रोटीन प्रकाश को महसूस करता है। नीली रोशनी पड़ने पर इसके माध्यम से आवेशित कण कोशिका में प्रवेश करते हैं और विद्युत संकेत उत्पन्न होता है। बाद में कार्ल डाइसेरोथ ने इस प्रोटीन से जुड़ी तकनीक को मस्तिष्क की तंत्रिका

कोशिकाओं पर लागू किया। उन्होंने न्यूरोंस में चैनलरोडॉप्सिन बनाने वाला जीन पहुंचाया। इसके बाद नीली रोशनी की मदद से इन कोशिकाओं को सक्रिय करना संभव हुआ। डाइसेरोथ ने इस शोध को 2005 में प्रकाशित किया और 2007 में जीवित चूहों के मस्तिष्क में इसका सफल प्रयोग प्रदर्शित किया। इसके बाद ऑप्टोजेनेटिक्स

मस्तिष्क अनुसंधान की महत्वपूर्ण तकनीक बन गई। वैज्ञानिकों ने इसके माध्यम से तंत्रिका कोशिकाओं और उनके बीच बनने वाले संपर्कों का अध्ययन किया। इससे याददाश्त, भावनाओं और व्यवहार से जुड़े मस्तिष्क के सर्किट को पहले की तुलना में अधिक बारीकी से समझना संभव हुआ। नोबेल पुरस्कार विज्ञान,

साहित्य, शांति और अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। पुरस्कार पाने वालों को पदक, प्रमाणपत्र और पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2026 में प्रत्येक पुरस्कार की राशि 1.2 करोड़ स्वीडिश क्रोनर निर्धारित है। पुरस्कार समारोह दिसंबर में स्वीडन के स्टॉकहोम और नॉर्वे के ओस्लो में आयोजित होंगे।

87 वर्षीय बुजुर्ग को घर से निकाला तो सरकार गिरी

मैंड्रिड, एजेंसी: स्पेन में महंगे किराए और किराएदारों को घर से निकाले जाने का मुद्दा राजनीतिक संकट में बदल गया है। 87 वर्षीय मारिया डेल कार्मेन अबास्कल को 23 सितंबर को उस घर से बेदखल किया गया, जहां वह करीब 70 साल से रह रही थीं। इसके बाद देशभर में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। बढ़ते दबाव के बीच प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेज की सरकार ने किराएदारों को राहत देने के लिए संसद में दो आपात विधेयक पेश किए, लेकिन दोनों प्रस्ताव दो अक्टूबर को पारित नहीं हो सके। अबास्कल के परिवार का घर से जुड़ा किरायेदारी संबंध कई दशकों पुराना था। 2018 में इमारत के मूल मालिक ने इसे एक रियल एस्टेट कंपनी को बेच दिया। इसके बाद किराए को लेकर विवाद शुरू हुआ। कंपनी ने मासिक किराया 500 यूरो से बढ़ाकर 2650 यूरो

कर दिया, जबकि अबास्कल की पेंशन करीब 1350 यूरो थी। मामला अदालत तक पहुंचा और अंततः उन्हें घर से निकाल दिया गया।

पहले विधेयक में कमजोर किराएदारों को 2030 तक बेदखली से सुरक्षा, किराया वृद्धि पर कुछ नियंत्रण और छोटे मकान मालिकों व किराएदारों को कर राहत देने का प्रस्ताव था। दूसरे विधेयक में मौजूदा किरायेदारी समझौते की अवधि बढ़ाने का प्रावधान था।

सांचेज सरकार के पास संसद में बहुमत नहीं है। विपक्षी पार्टियों ने आर्शका जताई कि सख्त नियमों से मकान मालिक घर किराए पर देने से बच सकते हैं और उपलब्ध मकानों की संख्या घटने से किराया और बढ़ सकता है। सरकार पहले से बजट, भ्रष्टाचार और प्रवासन जैसे मुद्दों पर भी दबाव में है।

अभिभावकों के विरोध के बाद सुपरिटेन्डेंट को कारण बताओ नोटिस

नईदुनिया ब्यूरो, मुंबई: महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के एक सरकारी आश्रम स्कूल में 82 छात्रों के आधे बाल काटे जाने का मामला सामने आया है। घटना चिमूर तालुका के जंभुलघाट स्थित सरकारी सेकेंडरी आश्रम स्कूल की है। शनिवार को स्कूल परिसर में बच्चों के बाल काटे जा रहे थे। इसी दौरान कुछ छात्र खेल रहे थे, जिससे सुपरिटेन्डेंट प्रशांत मेश्राम नाराज हो गए। आरोप है कि उन्होंने गुस्से में 82 छात्रों के आधे बाल कटवा दिए। छात्रों के बाल ट्रिपर से काटे गए, जिससे कई बच्चों के बाल टेढ़े-मेढ़े और आधे-अधूरे रह गए। शनिवार शाम छात्रों को तस्वीरें सामने आने के बाद मामला चर्चा में आया और अभिभावकों में



नाराजगी फैल गई। जानकारी मिलने के बाद अधिकारियों ने स्कूल प्रबंधन से संपर्क किया। इसके बाद देर रात छात्रों के बाल दोबारा काटे गए। यह प्रक्रिया रात

नाबालिगों से दुष्कर्म के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, तीन घटनाओं पर जताई चिंता

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में नाबालिगों से दुष्कर्म की तीन घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने कहा कि गंभीर अपराधों को रोकने के लिए अपराधियों के मन में कानून का भय होना जरूरी है। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने दिल्ली पुलिस को केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं रहने और जरूरत पड़ने पर सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में 4 अगस्त से 21 सितंबर के बीच हुई तीन घटनाओं का स्वतः संज्ञान लिया था। अदालत ने इस मामले में दिल्ली पुलिस और केंद्रीय गृह मंत्रालय से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। मामले की पहली सुनवाई 28



सितंबर को हुई थी। पीठ ने कहा कि कुछ लोग संविधान के अनुच्छेद 21 और मानवाधिकारों का हवाला देकर सख्त कार्रवाई पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन पुलिस को कानून के तहत अपना दायित्व निभाना होगा। अदालत ने अधिकारियों को

आवश्यकता पड़ने पर सख्त कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटने को कहा।

पहली घटना 4 अगस्त को हुई थी। ग्रेटर नोएडा के परी चौक से बस में सवार हुई 16 वर्षीय नाबालिग के साथ चलती बस में सामूहिक दुष्कर्म किया गया।

आनंद की बसपा में वापसी मायावती ने फिर सौंपी राष्ट्रीय संयोजक की जिम्मेदारी

नईदुनिया ब्यूरो, लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को 31 दिन बाद फिर पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक बना दिया है। तीन सितंबर को मायावती ने उन्हें इस पद से हटाते हुए कहा था कि आकाश को अभी और परिपक्व होने की जरूरत है। इसके बाद 10 सितंबर को उन्हें पार्टी से भी निकाल दिया गया था। मायावती ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आकाश को दोबारा जिम्मेदारी देने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पार्टी में अनुशासन बनाए रखने के लिए पिछले दिनों कई सख्त फैसले

लिए गए, जिनमें उनके परिवार के सदस्य भी शामिल रहे। मायावती के अनुसार, आकाश से जुड़े कुछ कारणां के चलते संगठन में बदलाव करने पड़े और अंततः उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ को राजनीति से संन्यास लेना पड़ा। मायावती ने कहा कि इसके बाद आकाश के व्यक्तित्व और काम करने के तरीके में बदलाव देखने को मिला। दो अक्टूबर को आकाश ने एक्स पर मायावती को अपना राजनीतिक गुरु, प्रेरणा और बुआ मां बताते हुए कहा था कि बसपा ही उनका परिवार है और वह किसी अन्य दल में नहीं जाएंगे।



चीन के लिए जासूसी के शक में अमेरिकी महिला गिरफ्तार

वॉशिंग्टन, एजेंसी: अमेरिका की इरविन में रियल एस्टेट एजेंट है संधीय जांच एजेंसी एफबीआई ने लॉस एंजिल्स एयरपोर्ट से 34 वर्षीय महिला वैनयिंग हीदर झांग को गिरफ्तार किया है। उस पर आरोप है कि उसने चीन सरकार के लिए काम करते हुए ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते के बेटे टिंग-यू लाई की निगरानी की और उसकी तस्वीरें व वीडियो चीन भेजे। अधिकारियों के मुताबिक, झांग कैलिफोर्निया के

पुराने दोस्त ने चीन के एक सरकारी अधिकारी से मिलवाया था। इसके बाद वह चीन के चांगशा शहर गई।



सुरक्षा व्यवस्था इजराइल ने भी कू सूची की जांच नहीं की, 174 यात्रियों की जान पर बनी थी

भर्ती से पहले पुराने रिकॉर्ड का सत्यापन नहीं हुआ

दुबई, एजेंसी: दुबई से इजराइल जा रही फ्लाईदुबई की उड़ान में भारतीय कैप्टन स्मि्त मच्छर पर हमला करने वाले ओमानी को-पायलट हमाम अल-हमामी को लेकर ओमान, यूएई और इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, हमामी को पहले ओमान में कट्टरपंथी वेबसाइट और ब्लॉग देखने के कारण उड़ान भरने से रोक दिया गया था। इसके बावजूद फरवरी 2026 में उसे फ्लाईदुबई में नौकरी



मिल गई। हमामी ने 2018 में ओमान एयर में काम शुरू किया था और 2022 में पायलट बना। 2024 में अधिकारियों को उसके

कट्टरपंथी वेबसाइट और ब्लॉग देखने की जानकारी मिली। इसके बाद उसे डेस्क जॉब दी गई और डी-रेडिकलाइजेशन कार्यक्रम में

भेजा गया। 2025 की शुरुआत में उसने ओमान एयर छोड़ दी। फ्लाईदुबई ने आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच तो की, लेकिन पुराने रिकॉर्ड की पुष्टि के लिए ओमान से संपर्क नहीं किया। घटना के दौरान हमामी ने कॉकपिट में नमाज पढ़ने का बहाना बनाया और आपात स्थिति में इस्तेमाल होने वाली कुल्हाड़ी से पीछे से कैप्टन स्मि्त पर हमला कर दिया। सिर और हाथ में गंभीर चोट लगने के बावजूद स्मि्त ने

मुकाबला किया। कॉकपिट से आवाजें सुनकर यात्रियों ने स्थिति की जानकारी ली। इसके बाद दो ऑफ-ड्यूटी पायलटों समेत कुछ यात्रियों ने कॉकपिट में पहुंचकर हमामी को काबू करने में मदद की। इस दौरान विमान करीब 34 हजार फीट से तेजी से नीचे आया और लगभग एक मिनट में 17 हजार फीट तक पहुंच गया। उसकी गति 970 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक हो गई थी। हमामी ने विमान के नियंत्रण और इंजन से

जुड़े स्विचों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। पेशे से प्लंबर यानिब हथून ने कंट्रोल स्टिक खींचकर विमान को तेजी से नीचे जाना रोका। बाद में ऑफ-ड्यूटी पायलटों एफजेड1073 में 174 लोग सवार थे। विमान को सऊदी अरब के तबुक में आपात लैंडिंग कराई गई। कैप्टन स्मि्त को अस्पताल ले जाया गया और हमामी को सऊदी अधिकारियों को सौंप दिया गया।

गांधीजी की तस्वीर वाले नोट पर आपत्तिजनक रील

महिला इंप्लूअंसर गिरफ्तार, सूरत साइबर क्राइम ब्रांच की कार्रवाई



नईदुनिया ब्यूरो, सूरत: महात्मा गांधी की तस्वीर वाले 500 रुपये के नोट पर आपत्तिजनक रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के आरोप में सूरत पुलिस की साइबर अपराध शाखा ने महिला इंप्लूअंसर सिमरन पटेल को गिरफ्तार किया है। 47 वर्षीय सिमरन के इंस्टाग्राम पर करीब 10 लाख अनुयायी हैं। पुलिस के अनुसार, दोष सिद्ध होने पर उन्हें तीन वर्ष तक की सजा हो सकती है।

पुलिस के मुताबिक सिमरन ने 1 अक्टूबर को दोपहर एक बजे से शाम छह बजे के बीच यह रील इंस्टाग्राम पर साझा की थी। 2

अक्टूबर को गांधी जयंती के बाद एक नागरिक ने इसकी शिकायत पुलिस से की। सिमरन सूरत के अडाजण क्षेत्र की रहने वाली हैं और गृहिणी हैं। पुलिस ने बताया कि रील में 500 रुपये के नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीर को आपत्तिजनक और अश्लील तरीके से प्रदर्शित किया गया था। वीडियो में कथित तौर पर अपमानजनक बातें और यौन संकेत वाले इशारे भी किए गए थे।

जांच के दौरान साइबर अपराध शाखा ने संबंधित इंस्टाग्राम खाते के साथ डिजिटल और तकनीकी

साक्ष्यों की जांच की। इसके आधार पर पुलिस ने सिमरन की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया। पुलिस ने सोशल मीडिया पर गिरफ्तारी से जुड़ा वीडियो भी साझा किया। इसमें पहले उन्हें करेंसी नोट पकड़े दिखाया गया और बाद के दृश्य में हथकड़ी में दिखाया गया है। वीडियो में सिमरन रील पोस्ट करने के लिए माफी मांगती भी नजर आई। पुलिस रील बनाए जाने के समय, उद्देश्य और उसके प्रसार की जांच कर रही है। उनके खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत कार्रवाई की गई है।

ममता ने तीन अस्पतालों को भेजा कानूनी नोटिस

पूछा- मेरी मेडिकल रिपोर्ट शुभेंदु अधिकारी तक कैसे पहुंची



नईदुनिया ब्यूरो, कोलकाता: 2021 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान लगी चोट को लेकर पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तीन अस्पतालों को कानूनी नोटिस भेजा है। उन्होंने पूछा है कि उनके इलाज से जुड़े मेडिकल रिकॉर्ड पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी तक कैसे पहुंचे और सार्वजनिक कैसे हुए। नोटिस में रिकॉर्ड जारी करने से पहले उनकी सहमति लिए जाने और किसी अदालत के आदेश की जानकारी भी मांगी गई है। मामला 10 मार्च 2021 को नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान ममता के घायल होने से जुड़ा है। उस समय उन्होंने आरोप लगाया था कि कुछ लोगों के धक्का देने से कार का दरवाजा उनके पैर से टकराया और पैर में फ्रैक्चर हुआ। इसके बाद पैर में प्लास्टर लगाकर उन्होंने व्हीलचेयर से चुनाव प्रचार किया था।

तीन अक्टूबर को शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया था कि उस समय की बांगुर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंसेज की रिपोर्ट में पैर में फ्रैक्चर का उल्लेख नहीं था।

उन्होंने इस मामले की नई जांच कराने की बात कही थी। ममता की ओर से भेजे गए नोटिस में एसएसकेएम अस्पताल के निदेशक डॉ. मणिमय बंधोपाध्याय, बांगुर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंसेज के मेडिकल सुपरिटेन्डेंट एवं वाइस प्रिंसिपल डॉ. पिंजुश कुमार राय और न्यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ. अतनु विश्वास से जवाब मांगा गया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को भी इसकी प्रति भेजी गई है। नोटिस में पूछा गया है कि मेडिकल रिकॉर्ड किस उद्देश्य से जारी किए गए, किन परिस्थितियों में साझा किए गए और क्या सार्वजनिक किए गए दस्तावेज मूल रिकॉर्ड हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट करने को कहा गया है कि यदि कोई अदालत का आदेश नहीं था, तो रिकॉर्ड किस आधार पर उपलब्ध कराए गए। ममता के अनुसार, यह मामला उनके निजी मेडिकल रिकॉर्ड के सार्वजनिक होने से जुड़ा है। वहीं अधिकारी ने रिपोर्ट के आधार पर 2021 की चोट के दावे पर सवाल उठाते हुए जांच की बात कही है।

